193

संख्या– 1036 /XV-2/01(02)/2009(डेरी)

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 10, फरवरी, 2014

**विषय– नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं के मंगलपड़ाव, हल्द्वानी स्थित भवन के जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य को प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1422–23/लेखा–आगणन प्रेषण पत्रा0/2013–14, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं के मंगलपड़ाव, हल्द्वानी स्थित भवन के जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य हेतु गठित आगणन ₹ 17.42 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 15.58 लाख एवं आगणन में अधिप्राप्ति संबंधी कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 0.13 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 15.71 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 15.71 लाख (रूपये पन्द्रह लाख इकहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
10. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक पूर्व उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित समयावधि शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रमशः 2

11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

3– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–03–डेरी विकास की योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–146(P)/XXVII-4/2013 दिनांक 8 फरवरी, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव।

संख्या– 1036(1)/XV-2/2013तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
अनु सचिव।